पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 365/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- तरवा:हत्या के प्रयास में अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

➡वादी आनन्द पाल पुत्र अंबिका पाल ग्राम जोलबरिया (उचहुवा) थाना तरवाँ जि0 आजमगढ़ द्वारा दिनांक 01-12-2024 को समय लगभग 10 बजे दिन मे उचहुवाँ बाजार में बीज भंडार के दुकान पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे कि विपक्षीगण 1. सत्यम यादव (ऋषु) पुत्र रमेश यादव ग्राम बघरा थाना तरवाँ जि0 आजमगढ़ 2. अभिषेक यादव पुत्र डब्बू यादव 3. पंकज यादव पुत्र अज्ञात ग्राम ठाटा (अब्बल) थाना तरवां जिला आजमगढ़ 4. आनन्द यादव पुत्र मूलचन्द्र यादव ग्राम दर्रोपुर थाना तरवाँ जिला आजमगढ़ सभी लड़को द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से लाठी डन्डो से मारने पीटने लगे तभी सत्यम यादव उर्फ ऋशु अपने कमर से पिस्टल निकाल कर मेरे ऊपर फायर कर दिया जिससे मै किसी तरह जान बचाया छीना झपटी मे सत्यम से पिस्टल को छीन लिया तब तक मौके पर इन्द्रजीत यादव और प्रिन्स यादव दौड़कर आ गये। मौके पर पुलिस आ गयी। ये लोग काफी मनबड किस्म के है। इनके विरूध थाने पर कई मुकदमे दर्ज है। छीनी गई पिस्टल खोखा कारतुस को मौके पर पुलिस को देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 335/24 धारा 109 ,115(2) बी0एन0एस0 बनाम 1. सत्यम यादव उर्फ ऋषु पुत्र रमेश यादव आदि 04 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 शिवम द्विवेदी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

➡आज दिनांक 02.12.24 को मै थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह मय हमराह को डायल112 कार्यालय जनपद आजमगढ़ से प्राप्त सूचना पर ग्राम उचहुवा बाजार में गोली चली है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची तथा मौके से अभियुक्त आनन्द यादव पुत्र मूलचन्द्र यादव उम्र करीब 23 वर्ष नि0 दर्रोपुर थाना तरवा जिला आजमगढ को एक अदद पिस्टल व एक अदद खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	335/24	109 ,115(2) व बढोत्तरी धारा 3(5),352 बी0एन0एस0	तरवां	आजमगढ़
2	204/21	379, 411 भादवि	सादात	गाजीपुर
3	221/21	201, 41, 411, 413, , 414, 419, 420 भादवि	शादियाबाद	गाजीपुर
4	273/24	3(1)उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट	शादियाबाद	गाजीपुर

02.थाना- महराजगंजः अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

➡दिनांक- 30.11.2024 को वादिनी मुकदमा कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की लड़की उम्र करीब 15 वर्ष को विपक्षी राजू पुत्र लालपति नोना के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 451/24 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम राजू पुत्र लालपति नोना सा0 कोलमोदीपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री ओमकार तिवारी के द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

➡आज दिनांक- 02.12.2024 को उ0नि0 ओमकार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजू नोना पुत्र लालपत सा0 कोलमोदीपुर कोतवाली- महराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 20 वर्ष को राजेसुल्तानपुर मोड़ कस्बा महराजगंज से समय करीब 05.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

03.थाना सरायमीर: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡दिनांक 29.11.24 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर जिला आजमगढ प्रा0पत्र दिये कि वादी मुकदमा की पुत्री उम्र 16 वर्ष शौच के लिए गयी थी कि विपक्षी लाल बहादुर बनवासी पुत्र बेचन बनवासी द्वारा छेड़खानी की गयी व शोर करने पर गाली देते हुए भाग गया, के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0स0 628/2024 धारा 74/352 बीएनएस व 7/8 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण –

➡दिनांक- 02.12.2024 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लाल बहादुर बनवासी पुत्र बेचन बनवासी सा0 रंगडीह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को सुतरीगंज के पास से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना गम्भीरपुर: 02 वारण्टी गिरफ्तार

➡आज दिनांक 02.12.2024 को उ0नि0 श्री विजय शुक्ला मय हमराह द्वारा वारंटी 1. वसीम पुत्र नेशार अहमद 2. मो.सहबाज खा पुत्र नियाज खा निवासीगण ग्राम मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ सम्बंधित मु0न.11188/23 अपराध संख्या-219/24 धारा 3/5ए/8 गोवद्ध नि0अधि0 ACJM कोर्ट न0 11 आजमगढ़ को आज दिनांक 02.12.2024 को समय करीब 10.15 बजे उनके घर ग्राम मुहम्मदपुर से गिरफ्तार किया गया। वांरटीगण को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।